न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) वाराणसी।

उपस्थित-श्री अभिनव जैन (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा) जे.ओ कोड- यू.पी 2212

मुकदमा संख्या-5547/2025

सरकार बनाम आशीष उर्फ रविन्द्र सोनकर

अ 0 सं0-150/2025

धारा-305(c)/317(2) बी0एन0एस0

थाना-जी.आर.पी. कैंट, वाराणसी।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **आशीष उर्फ रविन्द्र सोनकर** पुत्र स्व0 भोनू सोनकर द्वारा जिला कारागार, वाराणसी से उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर मुकदमा समाप्त करने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मु०अ०सं०–150/2025 अंतर्गत धारा–305(c)/317(2) बी0एन0एस0, थाना जी.आर.पी. कैंट, वाराणसी के मामले में विवेचना उपरान्त सम्बन्धित विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त आशीष उर्फ रविन्द्र सोनकर के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.2025 को संज्ञान लिया गया। अभियुक्त आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है और उसके द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने का कथन किया गया है। जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में अभियुक्त को समझाया गया कि यदि वह संस्वीकृति करता है तो उसे दोषसिद्ध किया जा सकता है। बावजूद इसके अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति की गयी। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को मु०अ०सं० 150/2025, अंतर्गत धारा–305(c)/317(2) बी0एन0एस0, थाना जी.आर.पी.कैंट के मामले में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पुनः लंच बाद पेश हो।

दिनांक–09.04.2026

(अभिनव जैन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(उत्तर रेलवे) वाराणसी।
JO Code UP2212

लंच बाद

अभियुक्त व अभियोजन को दण्ड के प्रश्न पर सुना। अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह गरीब व्यक्ति है। वह मजदूरी करके अपना जीवनयापन करता है। उसको जो भी मिलता है उसको खाता है तथा जो कपड़ा मिलता है उसे पहनता है। उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। उसका कोई पारिवारिक सदस्य नहीं है और न ही रिश्तेदार है। वह स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार कर रहा है। अतः याचना की गयी है कि उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए। अभियोजन द्वारा अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड देने की प्रार्थना की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 24.05.2025 को 03:45 बजे ट्रेन सं0 07652 में यात्रा कर रही वादिनी मुकदमा का लेडीज हैण्ड पर्स जिसमें मोबाईल, नगद रूपया, चार्जर, एयर वर्ड, कागजात व चश्मा था, चोरी कर लिया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त के पास से उक्त चोरी का मोबाईल बरामद भी किया गया। अभियुक्त द्वारा आज स्वयं जुर्म स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत मामले में

Digitally signed by ABHINAV JAIN
Date: 2026.07.25 13:08:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त दिनांक 16.10.2025 से अब तक जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त द्वारा कहा गया है कि वह गरीब व्यक्ति है। उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। उसका कोई पारिवारिक सदस्य नहीं है और न ही रिश्तेदार है।

उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करते हुए प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त निम्नानुसार दंड से दंडित किए जाने योग्य है।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्त **आशीष उर्फ रविन्द्र सोनकर** पुत्र स्व0 भोनू सोनकर को उसके द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा 305(c) बी0एन0एस0 में **6 माह** के साधारण कारावास की सजा व **मु0 1,500/–** (एक हजार पांच सौ रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर उसे 15 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त को उसके द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा 317(2) बी0एन0एस0 में 3 **माह** के साधारण कारावास की सजा व **मु0 500/–** (पांच सौ रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर उसे 7 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोनों सजाएं साथ–साथ चलेंगी। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा पूर्व में जिला कारागार, वाराणसी में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि मु०अ०सं०–206/2025 अंतर्गत धारा–305(c)/317(2) बी0एन0एस0, थाना जी.आर.पी. कैंट, वाराणसी में पारित दण्डादेश अभियुक्त द्वारा उपरोक्त मामले में पारित दण्डादेश के साथ–साथ भोगा जायेगा।

अभियुक्त का सजायवी वारंट बनाकर संबंधित जेल अधीक्षक/जिला कारागार को अविलम्ब प्रेषित किया जाए।

दिनांक–09.04.2026

(अभिनव जैन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(उत्तर रेलवे) वाराणसी।
JO. Code UP2212